ई0मेल / स्पीड पोस्ट

कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश

चतुर्थ तल विकास भवन,जनपथ मार्केट, लखनऊ—226001

संख्या— 881 / सी0ई0ओ0—1—73 / 1—2016टीसी—I लखनऊः दिनांकः 13 मार्च, 2019

सेवा में,

समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

विषयः— **लोक सभा सामान्य निर्वाचन—2019 में पशु चिकित्सकों को चुनाव ड्यूटी से मुक्त रखे जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर कृपया डा0 राक़ेश कुमार, अध्यक्ष, पी0वी0एस0 एसोसिएशन, उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या—98/PVSA/2018-19, दिनांक 05.03.2019 (छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा लोक सभा सामान्य निर्वाचन—2019 में पशु चिकित्सकों को निर्वाचन ड्यूटी से मुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आयोग के पत्र संख्या—464/INST/2008-EPS, दिनांक 26.12.2008 (छायाप्रति संलग्न) में दिये गये निर्देशों के दृष्टिगत आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

संलग्नकःयथोक्त।

भवदीय,
13.3.19
(अरबिन्द कुमार पाण्डेय)
सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी।

संख्याः— 881 (1) / सी0ई0ओ0—1, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। 1/151 विकल्प

1— डा0 राकेश कुमार, अध्यक्ष, पी0वी0एस0 एसोसिएशन, उत्तर प्रदेश, के पत्र संख्या—98/PVSA/2018-19, दिनांक 05.03.2019 के कम में।
2— समस्त उप / सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3— प्रभारी कम्प्यूटर प्रकोष्ठ को वेबसाईट पर डालने हेतु।

13.3.19
(अरबिन्द कुमार पाण्डेय)
सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी।

1|3

पी.वी.एस. एसोसिएशन, उत्तर प्रदेश

पंजीकृत संख्या- 665/1-182627/2017-18 दिनांक 13 जून 2017
Email ID: pvsaup@gmail.com

पत्रांक 98/pvsa/2019 दिनांक 05.03.2019

सेवा में,

मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

विषय:- लोकसभा निर्वाचन कार्य में पशु चिकित्सकों को अवमुक्त रखने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि राज्य के समस्त जनपदों में पशु चिकित्सकों को लोकसभा निर्वाचन में मजिस्ट्रेट ड्यूटी के लिये आदेशित किया जा चुका है जो निर्वाचन आयोग द्वारा निर्गत आदेशों का उल्लंघन है। फलस्वरूप समस्त पशु चिकित्सालयों में ओपीडी बन्द हो जायेगी, इमरजेन्सी पशु चिकित्सा भी बन्द हो जायेगी। समय पर इलाज न मिलने से पशुधन हानि होगी। संप्रति जारी 24 घण्टे गौशालाओं में निराश्रित बीमार गायों की चिकित्सा सुश्रुषा भी बन्द हो जायेगी।

अतः सादर अनुरोध है कि उक्त विशेष परिस्थितियों के दृष्टिगत उत्तर प्रदेश के समस्त पशु चिकित्सकों की ड्यूटी निर्वाचन कार्यों से अवमुक्त करने सम्बन्धी आदेश समस्त जिलाधिकारियों को निर्गत करने का कष्ट करें।

सादर।

भवदीय
(डा0 राकेश कुमार)
अध्यक्ष
मो0--9412037921

2/3

G.E-2009

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NIRVACHAN SADAN, ASHOKA ROAD, NEW DELHI-110001.

No. 464/INST/2008-EPS Dated: 26th December, 2008

To

The Chief Electoral Officers
of all States/UTs.

Subject: - General Election to Lok Sabha, 2009 – Deployment of officers and staff – regarding.

Sir/Madam,

I am directed to state that the Commission has decided that:-

(a) The officers and staff of following departments will not be requisitioned for deployment of election duty:-

(i) Senior officers of the Indian Forest Service.
(ii) Doctors and Compounders working in veterinary hospitals.
(iii) Officers working in Grade – B (Cattle Extension Officer) in veterinary hospitals.
(iv) Medical Practitioners.
(v) Territorial Staff of Forest Department.
(vi) All India Radio.
(vii) Doordarshan.

(b) The operational/technical staff of BSNL, MTNL, UPSC and educational institutions will be requisitioned for election duty only in unavoidable circumstances.

(c) Officer/staff of Commercial Bank located in rural area and if happens to be a single officer branch, need not be deployed.

It is clarified that while drawing persons for election duties, you should explore the possibility of asking for persons from all such Corporations/PSUs in the area instead of asking from one Corporation/PSU only so that it is not too much of a strain on a particular organization.

Kindly acknowledge the receipt of the letter.

Yours faithfully,

(SUMIT MUKHERJEE)
UNDER SECRETARY

3/3

ई0मेल/स्पीड पोस्ट

कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश

चतुर्थ तल विकास भवन,जनपथ मार्केट, लखनऊ–226001

संख्या–883 /सी0ई0ओ0–1–73/1–2016टीसी–III लखनऊः दिनांकः13 मार्च, 2019

सेवा में,

समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

विषयः– लोक सभा सामान्य निर्वाचन–2019 में वाणिज्य कर विभाग के सचल दल एवं वि0अनु0शा0 में तैनात अधिकारियों/ कर्मचारियों/वाहन की निर्वाचन ड्यूटी के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश के संलग्न पत्र संख्या–166/वाणिज्य कर, दिनांक 01.03.2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2– कमिश्नर, वाणिजय कर से प्राप्त उक्त पत्र दिनांक 01.03.2019 की छायाप्रति संलग्न कर भेजते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वाणिज्य कर विभाग के उन अधिकारियों/कर्मचारियों/वाहनों को जो वस्तुओं एवं सामानों की सघन जांच हेतु गठित सचल दल एवं वि0अनु0शा0 इकाइयों में तैनात किये जायं, उन्हे निर्वाचन सम्बन्धी अन्य ड्यूटी से मुक्त रखने का कष्ट करें।

संलग्नकः–यथोक्त।

भवदीय,
13.3.19
(अरबिन्द कुमार पाण्डेय)
सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी।

संख्याः–883 (1)/सी0ई0ओ0–1, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– कमिश्नर, वाणिज्य कर, 4, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
2– समस्त उप/सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3– प्रभारी कम्प्यूटर प्रकोष्ठ को वेबसाईट पर डालने हेतु।

13.3.19
(अरबिन्द कुमार पाण्डेय)
सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी।

1/2

I

पत्र संख्या-निर्वाचन आयोग/2018-19/ 166 /वाणिज्य कर

9

प्रेषक,

07 MAR 2019

कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
2771/CEO19 उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

लखनऊ:: दिनांक:: 01 मार्च, 2019

महोदय,

कृपया लोकसभा सामान्य निर्वाचन, 2019 के सम्बन्ध में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक-01.03.2019 को विभागीय नोडल अधिकारियों के साथ की गई समीक्षा बैठक का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

मा० मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा निर्देशित किया गया है कि चुनाव में प्रलोभन के लिए प्रयोग होने वाली वस्तुओं एवं सामानों के मूवमेन्ट की सघन जांच हेतु वाणिज्य कर विभाग विभाग की 148 सचल दल इकाइयों एवं 45 वि0अनु0शा0 इकाइयों में तैनात अधिकारियों / स्टॉफ / वाहनों को अन्य सभी निर्वाचन ड्यूटी से मुक्त रखने के लिए इनकी सूचियां सम्बन्धित जिला निर्वाचन अधिकारियों / जिलाधिकारियों को अविलम्ब उपलब्ध करा दी जायें ताकि इन ईकाइयों का सघन उपयोग माल / सामानों के अवैध संचरण को रोकने में प्रभावी तरीके से किया जा सके। मा० मुख्य निर्वाचन आयुक्त के निर्देशों के क्रम में जिला स्तर पर उपरोक्तानुसार सूचियां उपलब्ध कराने के निर्देश सम्बन्धित अधिकारियों को जारी कर दिए गए हैं।

अतः निवेदन है कि कृपया सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों / जिलाधिकारियों को उपरोक्तानुसार सचल दल एवं वि०अनु०शा० इकाइयों में तैनात अधिकारियों / कर्मचारियों / वाहनों को अन्य सभी निर्वाचन ड्यूटी से मुक्त रखने हेतु अपने स्तर से भी निर्देशित करने का कष्ट करें।

भवदीया,

(अमृता सोनी)
कमिश्नर,
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

2/2

ई0मेल/स्पीड पोस्ट

कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश

चतुर्थ तल विकास भवन,जनपथ मार्केट, लखनऊ–226001

संख्या– 874/सी0ई0ओ0–1–73/1–2016टीसी–I लखनऊः दिनांकः 13 मार्च, 2019

सेवा में,

समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

विषयः– लोक सभा सामान्य निर्वाचन–2019 में भारतीय डाक विभाग के कर्मचारियों व वाहनों की निर्वाचन ड्यूटी के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर निदेशक (मुख्यालय) कार्यालय चीफ पोस्टमास्टर जनरल, उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्र संख्या–सार/लोक सभा जी0ई0/2019/9, दिनांक 20.02.2019 (छायाप्रति संलग्न) का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा लोक सभा सामान्य निर्वाचन–2019 में डाक विभाग के कर्मचारियों व वाहनों को निर्वाचन ड्यूटी से मुक्त किये जाने हेतु आवश्यक निर्देश जारी करने का अनुरोध किया गया है।

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि लोक सभा सामान्य निर्वाचन–2019 में भारतीय डाक विभाग के कर्मचारियों व वाहनों को स्थानीय आवश्यकता एवं मतदान कार्मिकों की उपलब्धता के दृष्टिगत निर्वाचन ड्यूटी के संदर्भ में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

संलग्नकःयथोक्त।

भवदीय,
13.3.19
(अरबिन्द कुमार पाण्डेय)
सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी।

संख्याः– 874 (1)/सी0ई0ओ0–1, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– निदेशक (मुख्यालय) कार्यालय चीफ पोस्टमास्टर जनरल उ0प्र0, लखनऊ को उनके पत्र संख्या–सार/लोक सभा जी0ई0/2019/9, दिनांक 20.02.2019 के क्रम में।
2– समस्त उप/सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3– प्रभारी कम्प्यूटर प्रकोष्ठ को वेबसाईट पर डालने हेतु।

13.3.19
(अरबिन्द कुमार पाण्डेय)
सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी।

1/2

4 2

भारतीय डाक विभाग
कार्यालय चीफ पोस्टमास्टर जनरल उ0प्र0 लखनऊ 226001

सेवा में,

मुख्य निर्वाचन अधिकारी
चतुर्थ तल, विकास भवन जनपथ मार्केट
लखनऊ, उत्तर प्रदेश
226001

8 FEB 2019

पत्रांक सं0– सार/लोक सभा जी0ई0/2019 /9 दिनांक 20.02.2019

143/CEO/19

विषय – लोक सभा सामान्य निर्वाचन – 2019 में भारतीय डाक विभाग के कर्मचारियों व हल्के वाहनों को चुनाव ड्यूटी सेमुक्त किए जाने के संबंध में,

****

महोदय,

विषयगत मामले में सादर अवगत कराया जाता है कि जिला मजिस्ट्रेट /जिला निर्वाचन अधिकारी कानपुर नगर ने अपने पत्र सं0–3340/ह0वा0/निर्वाचन–2019 दिनांक 11.02.19 के द्वारा पोस्टमास्टर जनरल कानपुर परिक्षेत्र कानपुर को निर्देशित किया है कि आगामी लोक सभा सामान्य निर्वाचन – 2019 के प्रयोगार्थ हल्के वाहनों की सूची संबंधित प्रभारी अधिकारी कानपुर नगर को उपलब्ध कराये(प्रति संलग्न)।

इसीप्रकार अधीक्षक डाकघर बुलंदशहर ने भी पत्र सं0–बी–2/निर्वाचन–2019/2018–19 दिनांक 29.01.19 के द्वारा सूचित किया है कि भारतीय डाक विभाग के कर्मचारियों व हल्के वाहनों की सूची संबंधित प्रभारी अधिकारी बुलंदशहर को भेजें (प्रति संलग्न)।

2. इस संबंध में सूच्य है कि भारतीय डाक विभाग की सेवाएँ आवश्यक सेवा के अर्न्तगत चिन्हित हैं तथा चुनाव से संबंधित थैलों/बैलेट पत्रों का संचालन भी डाक विभाग को ही करना होता है जिसे शिथिल नही किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त विभाग में उपलब्ध वाहनों के द्वारा डाक की ढुलाई का भी कार्य किया जाता है जिसे बन्द नही किया जा सकता है। कर्मचारी तथा वाहन चुनाव ड्यूटी मे लगाये जाने पर डाक प्रचालन तथा वितरण पर विपरीत प्रभाव पडेगा।

3. इस संबंध में उपरोक्त वर्णित कार्य की आवश्यकता के आधार पर ही समय–समय पर आपके कार्यालय द्वारा डाक विभाग के कर्मचारियों व वाहनों को चुनाव के कार्य से मुक्त रखने के आदेश दिये गये है (प्रति संलग्न)। इस संबंध में स्थानीय स्तर पर अधीक्षक डाकघर, बुलंदशहर व क्षेत्रीय कार्यालय, कानपुर द्वारा पत्राचार भी किया गया है(प्रतियाँ संलग्न हैं)।

अतः आपसे अनुरोध है कि कृप्या आगामी लोक सभा सामान्य निर्वाचन – 2019 में डाक विभाग के कर्मचारियों व वाहनों को चुनाव ड्यूटी से मुक्त किए जाने हेतु आवश्यक आदेश जारी करने की कृपा करें जिससे विभाग की सेवा में कोई व्यवधान न हो।

(राजीव उमराव)
निदेशक (मुख्यालय)
कार्यालय चीफ पोस्टमास्टर जनरल उ0प्र0
लखनऊ 226001

प्रतिलिपिः–
पोस्टमास्टर जनरल, आगरा/कानपुर/इलाहाबाद/बरेली/गोरखपुर/लखनऊ/वाराणसी परिक्षेत्र
प्रवर अधीक्षक डाकघर, अलीगढ/ अधीक्षक डाकघर बुलंदशहर

2/2